कार्यालय कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी

क्रं/बोर्ड/निर्माण/वाहन/16–17/34/658 इटारसी दिनांक 22/11/2016

निविदा आंमत्रण सूचना

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग, होशंगाबाद,इटारसी में कार्यपालन यंत्री के लिए एक बोलेरो अथवा समकक्ष वाहन एवं सहायक यंत्रियों के लिए दो इंडिका/इंडिगो वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत फर्म/संस्थाओं/ट्रेवल एजेंसियों से तीन लिफाफा पद्वति में मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/(कोरियर सर्विस मान्य नहीं होगी) के माध्यम से दिनांक **15.12.2016** को समय 5.30 बजे तक आंमत्रित की जाती हैं । प्राप्त निविदायें दिनांक **16.12.2016** को समय 12.00 बजे उपस्थित निविदाकारो अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी । निविदा प्रपत्र राशि रूपये 1000/–(बोलेरो तथा इंडिगो वाहन हेतु पृथक–पृथक) जमा कर दिनांक **06.12.2016** तक कार्यालयीन समय में (शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर) उक्त कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

शर्ते कार्यालयीन समय में कार्यालय में आकर देखी जा सकती है । निविदा विज्ञप्ति तथा शर्ते मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mpmandiboard.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी

इंडिका / इंडिगो वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

फर्म का नाम :–

सेवाकर का पंजीयन क्रमांक :–

धरोहर राशि :–

वाहन का प्रकार :– इंडिका / इंडिगो
(नान ए.सी.)

1. दर प्रति किलोमीटर (स्थानीय / प्रवास पर) :–
2. दर प्रति दिन (08घंटे / 80किमी0) :–
3. अतिरिक्त चार्ज प्रति घंटा (डे डिस्टेंसन पर आवर) :–
4. रात्रि विश्राम चार्ज (नाइट हाल्ट) :–

शर्तेः–

1. वाहन के स्थानीय / प्रवास पर प्रति कि.मी. की दर उपरोक्तानुसार देय होगी ।
2. वाहन के प्रति दिन के मान से उपयोग पर 08 घंटे / 80 कि.मी. की सीमा रहेगी, इसके पश्चात् अतिरिक्त चार्ज देय होगा ।
3. रात्रिकालीन विश्राम चार्जेस की गणना रात्रि 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक मान्य की जावेगी ।
4. सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा टोल टैक्स,पार्किंग,बोर्डर टैक्स, इत्यादि का भुगतान भी पृथक से किया जावेगा । देय भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी ।

हस्ताक्षर

नाम--------

पता--------------

दूरभाष क्रमांक----------

मोबाईल नं0-----------

इंडिका/इंडिगो वाहन हेतु शर्तेः–

01 निविदा प्रपत्र कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र मूल्य 1000/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mpmandiboard.gov.in से दिनांक 06.12.2016 समय 05:30 तक डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.12.2016 को 05.30 बजे तक है। प्राप्त निविदायें दिनांक 16.12.2016 समय 12:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष निविदा तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर खोली जावेगी।

02 बेव सांईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के मूल्य राशि रू0 1000/– का डिमांड ड्राफट कार्यपालन यंत्री म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी, कृषि उपज मंडी प्रांगण इटारसी म0प्र0 के नाम देय हो संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03 निविदायें तीन लिफाफा पद्वति में आमंत्रित की गई है, जिसके लिए प्रथम लिफाफा (अ) में धरोहर राशि, द्वितीय लिफाफा (ब) में तकनीकी अर्हता से संबधित अभिलेख एवं तृतीय लिफाफा (स) में वित्तीय ऑफर प्रस्तुत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर प्रस्तुत किया जावेगा। इन तीनों लिफाफों को क्रमशः उपयुक्तता निर्धारण पश्चात् खोला जावेगा अर्थात धरोहर राशि व तकनीकी अर्हता संबंधी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय ऑफर का लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा नहीं ।

04 तकनीकी अर्हता संबंधी अभिलेख लिफाफा (ब) में निम्नानुसार प्रस्तुत किये जावेगे :–

1. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र ।
2. सर्विस टैक्स, आयकर पंजीयन की छायाप्रति एवं विगत वर्ष का आयकर चुकारा प्रमाण पत्र ।
3. विगत 03 वर्षो में शासकीय,अर्द्वशासकीय एंव अन्य रेपूटेड कंपनी में सफलतापूर्वक वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र ।
4. टैक्सी कोटे में पंजीकृत कम से कम 04 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

05 निविदा के साथ धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में जो निविदा अवधि तक के लिये कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी के नाम बनी हो, प्रस्तुत की जावेगी ।

06 अन्य शर्ते डिटेल्ड टेन्डर डाक्यूमेंट के अनुसार रहेगी ।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी

इंडिका/इंडिगो वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की अन्य शर्तेः–

1 वाहन वर्ष 2015 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।

3. वाहन किराये की दरें नियमानुसार सेवाकर हेतु पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं से मान्य की जावेगी ।

4. वाहन का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे के अन्तर्गत होना अनिवार्य होगा ।

5. वाहन चालक संबंधित एजेंसी का रहेगा,जिसके पास नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस होना अनविार्य होगा

6. निविदा दरें कार्यादेश जारी करने से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगी तथा इसके पश्चात् दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी ।

7. वाहन के पंजीयन एवं इन्श्योरेंस पर होने वाले व्यय इत्यादि समस्त दायित्वों का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा । वाहन की बीमा पालिसी संपूर्ण उपयोग अवधि में होना चाहिए,जिसमें वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों का बीमा भी सम्मिलित है । बीमे की एक सत्यापित प्रति अनुबंधकर्ता के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा । बीमा समाप्त होने के पूर्व समयावधि में बीमे का नवीनीकरण तत्काल कराने का दायित्व निविदाकर का होगा ।

8. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदायकर्ता का होगा ।

9. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा आयकर पैन नम्बर,सर्विस टैक्स, पंजीयन नम्बर से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा ।

10. अनुबंध अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में टूट–फूट,चोरी,हानि,दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा । इसकी हानि की प्रतिपूर्ति बीमा एजेंसी से प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यवाही एजेंसी द्वारा अपने स्तर से की जावेगी । इस संबंध में बोर्ड कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा ।

11. वाहन दैनिक तथा किलोमीटर आधार पर उपलब्ध करानें में वाहन चालक,डीजल,आयल,वाहन का रख–रखाव, मरम्मत आदि सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी ।

12. निविदाकारों द्वारा वाहन की दरें निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार वाहन स्थानीय/ प्रवास पर जाने की स्थिति में प्रति किलोमीटर आधार पर तथा प्रतिदिन उपयोग हेतु दैनिक आधार पर दरें दी जावेगी । दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी । केवल सर्विस टैक्स पृथक से देय होगा ।

13. संबंधित सहायक यंत्रियों को वाहन उनके मुख्यालय से उपलब्ध कराया जावेगा तथा वाहन का उपयोग उनके द्वारा दौरे पर व आवश्यक विभागीय/शासकीय कार्य हेतु किया जावेगा ।

14. तकनीकी कार्यालय होशंगाबाद के सहायक यंत्री उपसंभाग इटारसी को इटारसी से सहायक यंत्री उपसंभाग हरदा को हरदा से, सहायक यंत्री उपसंभाग बैतूल को बैतूल से वाहन उपलब्ध कराना होगा ।

15. वाहन माह में राशि रू 17,000/— प्रति सहायक यंत्री के मान से उक्त अधिकतम व्यय सीमा तक् चलाया जा सकेगा ।

16. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा ।

17. किराये की दरें केवल नान ए.सी. इंडिका/इंडिगो, के लिए दी जावगी ।

18. निविदा क साथ अमानत राशि रू 10000/—(दस हजार रु मात्र) का डी.डी./एफ.डी. आर. कार्यपालन यंत्री म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी के नाम देय होगी ।

19. विवाद की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु मध्यस्थ के रूप में प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विवणन बोर्ड भोपाल होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा । मध्यस्थता की कार्यवाही प्रबंध संचालक कक्ष भोपाल में संचालित होगी ।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी

इटारसी दिनांक / /2016

कं/बोर्ड/निर्माण/वाहन/16–17/34/

बोलेरो वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

फर्म का नाम :–..
सेवाकर पंजीयन क्रमाक :–.....................................''अ''..
धरोहर राशि :–..
रूपये ....डी0डी0 क्रमाक ....दिनांक ....

''क'' दर मासिक के आधार पर

माडल बोलेरो (लोअर सेगमेन्ट)

राशि अंको में — राशि शब्दों में

रूपये................................/– प्रतिमाह रूपये.../– प्रतिमाह

नोटः– उपरोक्त दरें वाहन के स्थानीय 100 कि0मी0 एवं 10 घंटे प्रतिदिन के उपयोग हेतु जिसमें पेट्रोल एवं डीजल की खपत भी सम्मिलित है एक मुश्त प्रतिमाह दी जानी है स्थानीय उपयोग में इटारसी एवं संभागीय मुख्यालय होशंगाबाद भ्रमण सम्मिलित रहेगी एवं 1000 कि0मी0 के पश्चात ही प्रवास की दरें लागू होगी।

''ख'' दरें प्रवास पर जाने हेतु

मॉडल बोलेरो (लोअर सेगमेंट)

राशि अंको में रूपये../– प्रति किलोमीटर
राशि शब्दों में रूपये../– प्रति किलोमीटर

नोटः–

01 वाहन मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में प्रवास दरें प्रति कि0मी0 दी जानी है।

02 उपरोक्त दरों के अतिरिक्त वाहन चालक को प्रवास भत्ते एवं हाल्टिंग हेतु कोई पृथक से राशि देय नही होगी ।

03 उपरोक्त दरें सेवाकर सहित दी जावेगी इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी। देय भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटोती की जावेगी।

हस्ताक्षर
नाम :–
पताः–
मोबाईल नं0ः–
दूरभाष क्रमाकः–

:– बोलेरो वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र शर्ते :–

1. म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी को मय वाहन बोलरो तथा माडल 2015 के बाद का टैक्सी परमिट में पंजीकृत वाहन मासिक दर के आधार पर किराये पर न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि हेतु लेने बावत सील बंद निविदाये पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र मूल्य 1000/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा मंडी बोर्ड की वेबसाइट **www.mpmandiboard.gov.in** से दिनांक 06.12.2016 समय 05:30 तक डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15.12.2016 को 05.30 बजे तक है। प्राप्त निविदायें दिनांक 16.12.2016 समय 12:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता के समक्ष निविदा तकनीकी एवं वित्तीय ऑफर खोली जावेगी।

तकनीकी आर्हताए :–

01 बेव साईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र के मूल्य राशि रू0 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट कार्यपालन यंत्री म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी, कृषि उपज मंडी प्रांगण इटारसी म0प्र0, के नाम देय हो संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

02 निविदा के साथ अमानत राशि 10000/– शब्दों में दस हजार रूपये एफ.डी.आर. कार्यपालन यंत्री म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद,इटारसी कृषि उपज मंडी प्रांगण इटारसी म0प्र0 के नाम देय हो संलग्न किया जाना होगा तथा सफल निविदाकार की उपरोक्त या धरोहर अमानत राशि के रूप में परिवर्तित हो जायेगी।

03 निविदाकर्ता को ट्रेवल ऐजेंसी का संचालन का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एंव अन्य शासकीय/निजी संस्थाओं से वाहन किराये पर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

04 निविदाकर्ता को विगत तीन वर्ष का आय प्रमाण पत्र, इनकम टेक्स रिटर्न एवं राशि 5.00.000/– अंकन पांच लाख रूपये या अधिक तीन वर्षो का टन ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । प्रमाण पत्र सी.ए द्वारा प्रमाणित होना चाहिये ।

05 वाहन का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में टैक्सी कोटे के अंतर्गत होना अनिवार्य है तथा निविदाकार के स्वामित्व अथवा ऐजेंसी से सलंग्नता न्यूनतम 02 वाहन होना अनिवार्य है। जिसके प्रमाण स्वरूप उसे वाहन के पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

वित्तीय ऑफर :–

01 निविदाकार द्वारा वाहनों की दरें संलग्न निविदा प्रपत्र में प्रत्येक माह के फिक्सड राशि मासिक रूप में प्रपत्र ''अ'' के ''क'' अनुसार चार्जेस प्रति प्रतिमाह दरें अंकित की जानी होगी।

वाहन मुख्यालय से बाहर प्रवास पर जाने की स्थिति में प्रपत्र ''अ'' के ''ख'' अनुसार चार्जेस प्रति किलोमीटर दरें अंकित की जाना होगी। दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई राशि टैक्स इत्यादि देय नहीं होगा।

02 निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई दरें समान प्राप्त होने पर निर्णय विगत तीन वर्ष के टर्न ओवर अधिकतम होने की स्थिति पर लिया जावेगा।

–: बोलेरो वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा की अन्य शर्ते :–

01 वाहन का पंजीयन वर्ष 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

02 वाहन किराये की दरें मासिक आधार पर 10 घंटे प्रतिदिन एवं 1000 कि0मी0 प्रतिमाह अधिकतम पर होगी।

03 वाहन चालक संबंधित ऐजेंसी का रहेगा। जिसके पास नियमानुसार ड्राईविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।

04 तकनीकी आर्हता में अर्हतित होने से ही वित्तीय ऑफर खोले जावेंगे । तकनीकी आर्हता एवं वित्तीय ऑफर के पृथक पृथक लिफाफा को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत किया जावेगा।

05 निविदा दरें कार्यादेश जारी करने से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेंगी तथा इसके पश्चात् दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी ।

06 अनुबंध की अवधि में एक वर्ष तक निविदाकर्ता द्वारा दी गई दरों में प्रेट्रोल/डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण कोई वृद्धि नहीं की जावेगी।

07 वाहन के पंजीयन एवं इन्श्योरेंस पर होने वाले व्यय इत्यादि समस्त दायित्वों का वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा । वाहन की बीमा पालिसी संपूर्ण उपयोग अवधि में होना चाहिए,जिसमें वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों का जोखिम भी सम्मिलित हो वाहन चालक के ड्राईविंग लाइसेंस तथा वाहन के बीमे की एक सत्यापित छायाप्रति अनुबंधकर्ता को कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा । बीमा समाप्त होने के पूर्व समयावधि में बीमे का नवीनीकरण तत्काल कराने का उत्तरदायित्व भी दायित्व निविदाकर का होगा ।

08 अनुबंध अवधि वाहन बोर्ड के पास रहेगा एवं बोर्ड के जिस अधिकारी को आवंटित होगा उसके नियंत्रण में ही संचालित होगा। वाहन की पार्किंग एवं बोर्ड अथवा आंवटित अधिकारी के निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थान पर की जावेगी।

09 अनुबंध अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में टूट–फूट ,चोरी हानि,दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण दायित्व संबंधित ऐजेंसी का होगा। इसके हानि की प्रतिपूर्ति बीमा ऐजेंसी से प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यवाही ऐजेंसी द्वारा अपने स्तर से की जावेगी। इस संबंध में बोर्ड का कोई दायित्व नहीं होगा

10 वाहन के मुख्यालय से बाहर भ्रमण पर वाहन चालक को प्रवास के दौरान टी0ए0/डी0ए0 संबंधित ऐजेंसी द्वारा ही किया जावेगा।

11 वाहन मासिक आधार पर उपलब्ध कराने में वाहन चालक पेट्रोल/डीजल/वाहन की मरम्मत आदि की जिम्मेदारी संबंधित ऐजेंसी की होगी।

12 प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा।

13 निविदा सफल होने पर एक वर्ष का अनुबंध म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग होशंगाबाद, इटारसी के साथ करना होगा।

14 वाहनों के मुख्यालय में उपयोग के समय एंव मुख्यालय से बाहर भ्रमण के दौरान पार्किंग शुल्क/टोल टेक्स आदि व्यय संबंधित म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जावेगा।

15 आवश्यकता अनुसार किराये पर लेने वाले वाहन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

16 वाहन की लागबुक बनानी अनिवार्य होगी। जिसमें अद्यतन प्रविष्टि की जानी होगी। वाहन चालक द्वारा इसमें नियमित रूप से प्रविष्टि करना होगी। लागबुक पर सक्षम प्राधिकारी/उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे ।

17 ट्रेवल ऐजेंसी द्वारा प्रतिमाह देयक भुगतान हेतु वाहन लागबुक की छायाप्रति सहित कार्यालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। देयकों का संबंधित अधिकारी से सत्यापन पश्चात दरों की गणना का परीक्षण कर देयक का भुगतान किया जावेगा।

18 वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की पुष्टि उपरांत ऐजेंसी द्वारा माह में किसी भी दिन वाहन उपलब्ध न कराने पर समानुपातिक दर से देय राशि का कटोत्रा किया जावेगा।

19 इस अनुबंध को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद के लिए म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक एकमेव पंच रहेंगे तथा उनके द्वारा किया गया पंच निर्णय दोनो पक्षो पर बंधनकारक रहेगा।

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग होशंगाबाद इटारसी